रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122024-259612 CG-DL-E-24122024-259612

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5138]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946

No. 5138]

# रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2024

## मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 5553(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश. 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है .अर्थात:-

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

8313 GI/2024 (1)

" (2) यह 24 जून, 2025 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसीटी-59011/43/2024-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 921(अ), तारीख 26 फरवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 3594(अ), तारीख 23 अगस्त, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

#### (Department Of Chemicals And Petrochemicals)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2024

# POLYPROPYLENE (PP) MATERIALS FOR MOULDING AND EXTRUSION (QUALITY CONTROL) THIRD AMENDMENT ORDER, 2024

- **S.O.** 5553(E). In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2024, namely: -
- **1.** (1) This order may be called the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order Third Amendment Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:
  - "(2) It shall come into force on the 24<sup>th</sup> day of June, 2025."

[F.No. PCT-59011/43/2024-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note :** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 921(E), dated the 26<sup>th</sup> February, 2024 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 3594(E), dated 23<sup>rd</sup> August, 2024.